प्ररूप–ड
(नियम 7(2)देखिये)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मनेन्द्रगढ
जिला मनेन्द्रगढ–चिरमिरी–भरतपुर (छ0ग0)
/ /अनुज्ञा/ /

रा0प्र0क्र0–**202505330400033 / अ–62 / 2024–25,**
आदेश दिनांक 20 / 06 / 2025

क्रमांक /1998/वाचक–1 / वृक्ष कटाई / 2024 मनेन्द्रगढ, दिनांक 20 / 06 / 2025

प्रति,

बलवीर सिंह आ0 अमीर सिंह,
निवासी ग्राम बंजी थाना झगराखाण्ड,
तह0 मनेन्द्रगढ़, जिला एम.सी.बी.(छ0ग0)

विषय :– भूमिस्वामी की भूमि में प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुशंसा।

––0––

आपके द्वारा वृक्ष कटाई नियम 2022 के तहत् ग्राम बंजी में स्थित भूमि ख0नं0 213/2 रकबा 0.0600 हे0 में स्थित कुल 03 नग सेमर वृक्षों को काटे जाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

राजस्व निरीक्षक ग्रामीण मनेन्द्रगढ़ एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी(सा.) मनेन्द्रगढ़ से संयुक्त जांच प्रतिवेदन सह पंचनामा व प्रजातिवार वृक्षों की गणना सहित प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आवेदित भूमि में स्थित कुल 02 नग सेमर वृक्षों को काटे जाने पर, संहिता के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुशंसा अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, भूमिस्वामी अपने भूमि में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई, राजस्व अभिलेखों में पंजीयन के आधार पर, करवा सकेगा। छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण(वृक्षों में हित) नियम 2022, अधिसूचना दिनांक 24.11.2022 के प्रावधानों के तहत् वनमण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक अभिवहन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 95 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराएगा एवं शेष 05 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी। जमा राशि से, प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 05 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग द्वारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) मनेन्द्रगढ़ के माध्यम से कलेक्टर को दी जायेगी। उपरोक्त नियम व शर्तो का पालन नहीं किये जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुज्ञा, आवेदन दिनांक से एक कलैण्डर वर्ष तक मान्य होगा।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
मनेन्द्रगढ़, जिला एमसीबी(छ0ग0)

पृष्ठा.क्र. /1999/ वाचक–1 / वृक्ष कटाई / 2025 मनेन्द्रगढ दिनांक20/06/2025

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय, जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर(छ0ग0) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल मनेन्द्रगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्त नियम व शर्तो का पालन कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. तहसीलदार मनेन्द्रगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। वृक्षों की कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
मनेन्द्रगढ़, जिला एमसीबी(छ0ग0)